संख्या-636/XXVIII-3-2010-437/2002

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक 20 अगस्त, 2010

विषय: उत्तराखण्ड राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, जो प्रदेश के बाहर निवास कर रहे हैं, के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के तकनीकी परीक्षण हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-362/XXVII(8)/2005, दिनांक 19.09.2005, संख्या-58/XXVII(7)पे0/2006, दिनांक 18.05.2006 एवं चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-679/चि0-3-2006-437/2002, दिनांक 04.09.2006 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य की सेवा से सेवानिवृत्त राज्य के अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य, जो स्थायी रूप से दिल्ली, मेरठ मण्डल तथा सहारनपुर मण्डल में निवास कर रहे हैं, के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत दावों की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति के पूर्व अनिवार्यता प्रमाण पत्र के साथ चिकित्सा दावों के मूल देयक के तकनीकी परीक्षण हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून को तथा उत्तराखण्ड राज्य की सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जो मेरठ मण्डल तथा सहारनपुर मण्डल के अतिरिक्त उ0प्र0 राज्य के अन्य मण्डलों में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, के स्वयं तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत अनिवार्यता प्रमाण पत्र के साथ चिकित्सा दावों के मूल देयक के तकनीकी परीक्षण हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमाऊं मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. उक्त संशोधन के फलस्वरूप उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 08.05.2006 तथा 04.09.2006 के संगत् अंश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जांय और इनकी शेष सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-4393/XXVII(7)/2010, दिनांक 03.08.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

पु0संख्या- (1)/XXVIII-3-2010-437/2002(टी0सी0-I), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल/कुमाऊँ मण्डल, पौडी/नैनीताल।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधीक्षक/अधीक्षक, जिला/बेस/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तराखण्ड।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. वित्त वे0आ0सा0नि0 अनुभाग-7।
11. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।